

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)
अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : **UPFS/2025/163065/GZP/GHAZIPUR/1449/CFO**
दिनांक : **25-06-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SUNBEAM ACADEMY** पता **513, 514, GANGAULI, GHAZIPUR** तहसील - **KASIMABAD** प्लॉट एरिया **8840.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3409.37** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SUNBEAM ACADEMY	3	0	10.20 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SUNBEAM ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक **27-06-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **PUSHPA YADAV sfc8193@gmail.com 8416847288** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **27-06-2025** से **26-06-2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SUNBEAM ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SUNBEAM ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : 1- भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में रखा जाए ।

2- निकास मार्ग अवरोध रहित रखना अनिवार्य है ।

3- विद्युत सुरक्षा विभाग से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

4- प्रत्येक 03 माह पर मॉकड्रिल कराया जाना अनिवार्य है ।

5- अतः उपरोक्त शर्तों के अधीन, प्रस्तुत मानचित्र व दस्तावेजों के आधार पर, NBC 2016/अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली 2024 में अंकित प्रावधानों के अन्तर्गत संस्तुति की जाती है ।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

BHARTENDU JOSHI

87BA5E6753A57C9B42EDD70F8848F1ADE72328F8

27-06-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **27-06-2025**
स्थान : **GHAZIPUR**

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.